218

संख्या–3845/XXVIII(1)/2015-74(मे0का0)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

विषयः– प्रस्तावित दून मेडिकल कॉलेज में सृजित पदों के सापेक्ष पैरामेडिकल एवं नॉन टीचिंग स्टॉफ के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–26प/चि0शि0/177/2015/18000 दिनांक 21 नवम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में 150 प्रशिक्षु क्षमता के संचालन हेतु सृजित पदों को भरे जाने की अनुमति चाही गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में सृजित पदों के सापेक्ष पैरामेडिकल एवं नॉन टीचिंग स्टॉफ के पदों को संविदा के आधार पर अग्रिम आदेशों तक भरे जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1) उक्त पदों को संविदा पर 03 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए मेरिट के आधार पर भरा जायेगा।

2) पैरामेडिकल एवं नॉन टीचिंग स्टॉफ के पदों को संविदा के आधार भरे जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :–

1.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून	सदस्य
3.	प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	सदस्य
4.	वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड	विशेष आमंत्रित सदस्य

3) उक्त चयन समिति द्वारा पैरामेडिकल स्टॉफ का चयन मेरिट के आधार पर 40% प्रोफेशनल योग्यता के अंक + 30% हाई स्कूल के अंक + 30% इन्टरमीडिएट के अंक = 100 अंको के आधार पर किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार पैरामेडिकल एवं नॉन टीचिंग स्टॉफ के पदों के चयन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से एम0सी0आई0 के मानकानुसार ही की जायेगी।

क्रमशः पेज–02.....

4— उक्त समस्त पदों को संविदा के माध्यम से भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत समस्त नियमों/शासनादेशों तथा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3845/XXVIII(1)/2015-74(मे0का0)/2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्राचार्य, प्रस्तावित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0एन0 पन्त)
उप सचिव।